न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश– प्रथम, सुपौल

सत्रवाद संख्या–256 / 2022
त्रिवेणीगंज थाना काण्ड संख्या– 180 / 2022

दिनांकः 22.12.2022

काराधीन अभियुक्त प्रिंस राज आर्या की ओर पूर्व में दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। प्राथमिकी में लगाया गया आरोप बिल्कुल बनावटी व मनगढंत है तथा प्राथमिकी से स्पष्ट है कि प्रेम प्रसंग का मामला है तथा प्राथमिकी के अनुसार बलात्कार का मामला नहीं बनता है, प्रार्थी आवेदक और सूचिका आपसी सहमति से दोनों एक साथ रहते थे तथा जब रिश्ता तनावपूर्ण बनने लगा तो अभियुक्त पर झूठा आरोप लगाकर प्रस्तुत मुकदमा दर्ज कराया दिया गया है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से धारा 494, 493,377 भा0दं0वि0 का आरोप नहीं बनता है। अभियुक्त के विरुद्ध जकलाबांदा थाना, जिला नागांव, असम में एक अन्य मुकदमा सं0 63 / 2022 लंबित है जिसमें अभियुक्त जमानत पर है। प्राथमिकी में जिस तरह के घटना का वर्णन किया गया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है। अनुसंधान पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। प्रार्थी आवेदक दिनांक 11.04.2022 से काराधीन है। प्रार्थी आवेदक सक्षम जमानतदार देने को तैयार है तथा न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किये है कि प्रार्थी आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

प्रस्तुत वाद सूचिका सपना मलाह के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक सहित कुल 06 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 494,493,376,377,354सी,386, 114,341,323,324,506,420406 / 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या–180 / 2022 दर्ज किया गया जिसमें सूचक का कथन है कि सूचिका स्वेच्छा से दिनांक 10.04.2022 को त्रिवेणीगंज थाना में महिला पुलिस पदाधिकारी रश्मि शर्मा के समक्ष अपना बयान दर्ज करवायी है जिसमें उन्होंने बतायी की सूचिका की शादी 10 मार्च 2016 को दिव्यज्योति चौधरी पे0 रामलाल चौधरी, ग्राम–बरलाखात पो0 बरलाखात, थाना– मंगलदई जिला– दरंग, राज्य असम के साथ हुई थी। सूचिका की एक बेटी है जिसका नाम जिज्ञासा चौधरी उम्र लगभग साढ़े चार साल है। सूचिका के पति दिव्यज्योति से सूचिका का तलाक 15 जनवरी 2022 को हो चुका है। दिसंबर 2022 में जीवनसाथी डॉट कॉम के जरिये सूचिका का संपर्क प्रिंस राज आर्या पे0 ललित नारायण चौधरी से हुआ। प्रिंस राज आर्या सूचिका को प्रेमजाल में फंसाकर सूचिका के घर असम लेने के लिए 28 जनवरी 2022 को आया। प्रिंस राज आर्या पहले से शादीशुदा है व इसका एक ढाई साल का बच्चा भी है। इसकी पहली पत्नी इसे व बच्चे को छोड़कर चली गयी है। ये सूचिका को बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो वहाँ मेरा घर देख लेना और 2–4 दिन रहकर समक्ष लेना कि मेरे साथ रह सकती हो कि नहीं। मेरे बच्चे को भी माँ की जरूरत है और तुम्हारी बेटी को भी पिता मिल जाएगा और बोला कि मैं एफ0सी0आई0 में नौकरी करता हूँ, मेरी सैलरी 2500 रूपया है और उपर से मिलाकर एक लाख रूपये तक महीना कमा लेता हूँ जिससे मेरा, मेरे बच्चे का तुम्हारा एवं तुम्हारे बच्चे का परवरिश हो जाएगा। 3 फरवरी 2022 तक प्रिंस राज आर्या सूचिका व इनकी बच्ची के साथ घर पर ही रहा। 4 फरवरी 2022 को सूचिका व उनकी बच्ची को लेकर मेरे घर से त्रिवेणीगंज के लिए निकला। रास्ते में सिलीगुड़ी में एक मंदिर में सूचिका के मांग में सिंदुर डाल दिया। सूचिका इसके प्रेमजाल में फंस गई। दिनांक 7 फरवरी 2022 को प्रिंस राज आर्या के घर त्रिवेणीगंज आ गई। करीब 2 महीने तक सूचिका के साथ सूचिका के इच्छा के विरुद्ध शारिरिक संबंध बनाया। सूचिका को धमकी देकर सूचिका के साथ ओरल सेक्स किया और बिना सूचिका की जानकारी के विडियो भी बनाया। सूचिका के साथ जबरदस्ती डरा धमका कर शारिरिक संबंध बनाता था एवं उसका विडियो बनाकर अपने मोबाईल एवं लैपटॉप में रखता था। सूचिका को धमकाता था कि अगर सूचिका उसके कहे अनुसार काम नहीं करेगी तो वह विडियो वायरल कर देगा जिससे मैं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। सूचिका के पहले पति से तलाक में एलीमनी के रूप में 6 लाख रूपये मिला था। जिसमें से कुछ रूपये प्रिंस राज आर्या सूचिका को बहला फुसलाकर सूचिका के अकाउंट 40694581950 से निकाल लिया। बाकी पैसे बेटी जिज्ञांसा के नाम पर एफ0डी करवाने के लिए रखी थी। बाकी पैसों को भी प्रिंस

राज आर्य ने सूचिका के बेटी को जान से मारने की धमकी देकर व सूचिका की बेटी के माथे पर बंदुक सटाकर सूचिका से जबरदस्ती चेक पर साइन करवाकर, सूचिका के खाता से सारा पैसा निकाल लिया। जब पैसा खत्म हो गया तो सूचिका एवं उनकी बेटी के साथ मारपीट करने लगा व तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा। सूचिका की बेटी के अंगुली में रड फंसाकर ऐंठ देता था जिससे उसके अंगुली में चोट का निशान है एवं अभी भी घाव बना हुआ है। इसकी जानकारी सूचिका प्रिंस राज आर्या के पिता ललित नारायण चौधरी, मां बिंदु देवी, भाई रामबाबू चौधरी को दी तो उक्त सभी मिलकर भी सूचिका व उनकी बेटी को तरह–तरह से प्रताड़ित करने लगे व कहने लगे कि तुम और तुम्हारी बेटी का लेकर यहॉ से भाग जाओ। इनलोगों के उकसावें पर प्रिंस राज आर्या इनलोंगों के सामने ही सूचिका एवं उनकी बेटी को मारने पीटने लगा। सूचिका को बिना बताये असम लेकर गया व वहॉ से सूचिका का सारा सामन लेकर यहॉ आ गया। सूचिका को बोला की चलो सुपौल चलते हैं और सूचिका को असम लेकर चला गया इस दौरान सूचिका की बेटी को अकेले त्रिवेणीगंज स्थित अपने घर पर छोड़ दिया जिस दौरान इसके परिवार वालों ने सूचिका की बेटी को प्रताड़ित किया। बीच बीच में मुझे जबरदस्ती नेपाल लेकर चला जाता था। सूचिका की बेटी को अकेले छोड़कर जिससे सूचिका की बेटी डरी सहमी रहने लगी। सूचिका की बेटी को भी सभी मारना चाहते थे। दिनांक 06.04.2022 को प्रिंस राज आर्या सूचिका की बेटी को जान से मारने की नियत से दोनो हाथ में इलेक्ट्रीक शॉक लगाया जिससे सूचिका की बेटी का दोनो हाथ जल गया। जब सूचिका देखी तो किसी तरह अपी बेटी को बचायी। सूचिका को घर से बाहर नहीं निकलने देता था उसे डर था कि मैं कहीं पुलिस के पास न चली जाउॅ। पुलिस के पास न जाउॅ इसके लिए भी सूचिका को मारता पीटता था एवं सूचिका की बेटी को तरह तरह से प्रताड़ित करता है। दिनांक 09.04.2022 को सूचिका व सूचिका की बेटी को प्रताडित करने व डराने के लिए रात के 10 बजे घर से लेकर निकला बोला कि यहॉ स चली जाओ व सुपौल जाने वाले वास्ते में सूचक व इनकी बेटी को सुनसान जगह पर छोड़ दिया। आधे घंटे बाद वापस आया व डराया धमकाया कि अगर भागने की कोशिश या पुलिस के पास जाने की कोशिश करोगी तो फिर से ऐसे ही करेंगे व बेटी को मार देंगे। आज दिनांक 10.04.2022 को जब प्रिंस राज आर्या नहाने गया तो मौका देखकर सूचिका अपनी बच्ची को लेकर घर से भागी एवं पुलिस के पास आयी है। प्रिंस मेरा सारा कागजात जिसमें मेरा सर्टिफिकेट और भी जरूरी कागजात है एवं सूचिका तथा इनकी बेटी का सारा गहना भी हमसे डरा घमका कर ले लिया एवं मेरे पास एक भी रूपया नहीं रहने दिया।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त पूर्व से शादी शुदा है तथा एक बच्चा भी है। प्राथमिकी में प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध सूचिका को प्रेम जाल में फंसाकर विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं शारीरिक संबंध बनाकर छोडने का आरोप है तथा प्रार्थी अभियुक्त पर सूचिका को धमकी देकर पूर्व के पति से प्राप्त रूपये लेने का भी आरोप है। कांड दैनिकी के कंडिका 35 में प्रार्थी अभियुक्त द्वारा सूचिका/पीड़िता से चेक के माध्यम से से लिये गये रूपया का विवरण वर्णित है। कांड दैनिकी के कंडिका 18 में सूचिका/पीड़िता का मेडिकल जांच प्रतिवेदन वर्णित है। कंडिका 26, 27, 28 एवं साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। प्रार्थी आवेदक के अपराधिक इतिहास के संदर्भ में संबंधित थाना से मांग किया गया प्रतिवेदन प्राप्त है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी आवेदक के विरूद्ध इस काण्ड के अलावे जखलाबंधा थाना केस नं0 63/2022 अंतर्गत धारा 352,325,326 भा0द0वि0 एवं आर./सी. धारा 08 पॉक्सो अधि0 दर्ज है। अनुसंधान पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 11.04.2022 से काराधीन है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख एवं कांड दैनिकी में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है तथा प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है।

फलस्वरूप उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी अभियुक्त प्रिंस राज आर्या को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं समझता हूॅ। तदनुसार प्रार्थी अभियुक्त प्रिंस राज आर्या की ओर से दाखिल जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

(संजय कुमार–चतुर्थ)
अपर जिला सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
सुपौल